

HARYANA GOVERNMENT  
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1<sup>st</sup> December, 2006.

No. G.S.R. 33/Const./Art. 309/2006 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Excise and Taxation Department Subordinate Offices Ministerial (Group C) Service, namely:-

PART-I-GENERAL

- |               |  |
|---------------|--|
| Short title . | 1. These Rules may be called the Haryana Excise and Taxation Department Subordinate Offices Ministerial (Group C) Service Rules, 2006.   |
| Definitions . | 2. In these Rules, unless the context otherwise requires,-<br><br>(a) “Commission” means the Staff Selection Commission, Haryana;<br><br>(b) “direct recruitment” means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government ;<br><br>(c) “Government” means the Haryana Government in the Administrative Department;<br><br>(d) “recognized university” means,-<br><br>(i) any university incorporated by law in India ; or<br><br>(ii) any other university which may be declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules ; and<br><br>(e) “Service” means the Haryana Excise and Taxation Department Subordinate Offices Ministerial (Group C) Service. |

PART II- RECRUITMENT TO SERVICE

- |  |  |
|--|--|
| Number and character of posts.   | 3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules and members of the Service shall draw pay in the scales of pay shown there against :<br><br><p style="text-align: center;">Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reduction in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay either permanently or temporarily.</p> |
| Nationality, domicile and character of candidate appointed to the Service. | 4. (i) No person shall be appointed to any post in the Service unless he is –<br><br>(a) a citizen of India ; or<br><br>(b) a subject of Nepal ; or<br><br>(c) a subject of Bhutan ; or<br><br>(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or   |

- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India ;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c) (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age. 5. No person shall be appointed to Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than forty years of age, on or before the last date of submission of applications to the Commission.

Appointing authority. 6. Appointments to the posts in the Service shall be made-

- (a) in the case of Assistants and Senior Scale Stenographers, by the Additional Excise and Taxation Commissioner (Administration) ; and
- (b) in the case of Camp Clerks/Steno-typist and Clerks by the Deputy Excise and Taxation Commissioner.

Qualifications. 7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experiences specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment:

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications. 8. No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other

party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of  
recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,-
- (a) in the case of Assistants-
    - (i) by direct recruitment; or
    - (ii) by promotion from amongst Clerks and Camp Clerks/ Steno-typist ; or
    - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
  - (b) in the case of Senior Scale Stenographers-
    - (i) by direct recruitment; or
    - (ii) by promotion from amongst Camp clerks/ Steno-typists ; or
    - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
  - ( c ) in the case of Camp Clerks/Steno-typist-
    - (j) by direct recruitment; or
    - (ii) by promotion from amongst Clerks ; or
    - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
  - (d) in the case of Clerks-
    - (i) 80 % by direct recruitment ; and
    - (ii) 20 % by promotion from amongst Group C employees whose scale of pay is less than that of a Clerk and Group D employees ; or
    - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
- (2) Except as otherwise provided, when any vacancy occurs or is about to occur in the Service, the appointing authority shall determine in what manner such vacancy shall be filled in.
- (3) All promotions, whether from one grade to another grade or from one Group of Service to another Group of Service, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10.(1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Provided that-

- (a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;
- (b) any period of work in equivalent of higher rank, prior to appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,-

- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services, and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
  - (i) revert him to his former post ; or
  - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,

- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,-
  - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or
  - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or
  - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
- (b) if his work or conduct has in its opinion not been satisfactory ,--
  - (i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
  - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation;

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, interse of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service;

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre;

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under \_\_\_\_

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority within the State of Haryana;
- (ii) the Central Government, or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or
- (iii) any other State Government, an inter-national organization, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve under the Central Government or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereinafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) Rules, 1987, as amended from time to time;

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and the appellate authority shall subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these Rules.

(2) The authority competent to passed order under clause ( c ) or clause (d) of sub-rule (1) of Rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination. 15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance. 16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation. 17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order , for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions. 18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions, in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations. 19. Nothing contained in these Rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physcially handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with orders issued by the State Government in this regard from time to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent, at any time.

Repeal and savings. 20. The Haryana Excise and Taxation Department, Subordinate Offices Ministerial (Group C) Service Rules, 1981, are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

Appendix A  
(See Rule-3)

Serial Number	Designation of post	<u>Number of posts</u>			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3			4
1.	Assistants	147	4	151	Rs. 5000-150-EB-150-7850
2.	Senior Scale Stenographers	34	11	45	Rs.5000-150-EB-150-7850
3.	Camp Clerks/Steno Typist	207	12	219	Rs. 3050-75-3950-EB-80-4590 +100 Special pay
4.	Clerks	448	-	448	Rs. 3050-75-3950-EB-80-4590

<b>Appendix B</b> <b>(See Rule-7)</b>			
Serial Number	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for the appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Assistant	Graduate of a recognized University or its equivalent and knowledge of Hindi upto Matric Standard.	Three years experience as Clerk or Camp Clerk/ Steno-typist.
2.	Senior Scale Stenographer	1. Matric/Higher Secondary or its equivalent/10+2 (Vocational). 2. Knowledge of Hindi upto Matric Standard. 3. English shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute; or 4. Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute. 5. 4 percent mistakes on the typed material will be allowed.	Three years experience as Camp Clerks/ Steno-typist having English or Hindi speed in shorthand at 100/80 words per minute and transcription thereof at 20/ 15 words per minute respectively. 4 percent mistakes on the typed material will be allowed.
3.	Camp Clerk/ Steno-typist	1. Matric/Higher Secondary or its equivalent/ 10+2 (Vocational). 2. Knowledge of Hindi upto Matric Standard. 3. English shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute; or 4. Hindi shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute. 5. 8 percent mistakes on the typed material will be allowed.	One year experience as a Clerk having English or Hindi speed in shorthand at 80/64 words per minute and transcription thereof at 15/11 words per minute respectively. 8 percent mistakes on the typed material will be allowed
4.	Clerk	1. Matric/ Higher Secondary or its equivalent/ 10+2 (Vocational). 2. Knowledge of Hindi upto Matric Standard. 3. Should pass the typing test in Hindi/English at the speed of 25/30 words per minute respectively within a period of one year from the date of appointment.	1. In case of appointment by promotion, five years service as Group C employee whose scale of pay is less than that of a Clerk and Group D employee who has passed Matric/ Higher Secondary or equivalent / 10+2 (Vocational). 2. In case of appointment by transfer two years service as Clerk



Appendix C  
[See Rule-14(1)]

Serial Number	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
1. 2.	Assistants  Senior Scale Stenographer	Additional Excise and Taxation Commissioner (Administration)	1. Minor Penalties: (e) warning with a copy in the personal file (character roll); (ii) censure: (iii) withholding of promotion: (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State: and (v) withholding of increments of pay without cumulative effect. <b>2. Major Penalties :</b> (v-a) withholding of increments of pay with cumulative effect ;  (vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay; (vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to the grade, post or service; (viii) compulsory retirement; (ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government; (x) dismissal from service which shall ordinarily be disqualification for future employment under the Government;	Additional Excise and Taxation Commissioner (Administration)	Excise and Taxation Commissioner	Govern- ment
3.	Camp Clerks/Steno typist	Deputy Excise and Taxation Commissioner	All major and minor penalties enumerated above	Deputy Excise and Taxation Commissioner	Excise and Taxation Commissioner	Goven- ment
4.	Clerks	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-

**Appendix-D**  
**[See Rule-14(2)]**

Serial Number	Designation of posts	Nature of Order		Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate authority
1.	2.	3.		4.	5.	6
1.	Assistants	(a)	reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Additional Excise and Taxation Commissioner (Administration)	Excise and Taxation Commissioner	Govern-ment
2.	Senior Scale Stenographers	(b)	terminating the appointment otherwise than upon his attaining the age fixed for superanuation ;			
3.	Camp Clerks/Steno Typist	(a)	reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Deputy Excise and Taxation Commissioner	Excise and Taxation Commissioner	Govern-ment
4.	Clerks	(b)	terminating the appointment otherwise than upon his attaining the age fixed for superanuation ;	-do-	-do-	-do-

L.S.M.SALINS  
Financial Commissioner and Principal Secretary to  
Government, Haryana, Excise and Taxation  
Department.

हरियाणा सरकार  
आबकारी तथा कराधान विभाग  
अधिसूचना

दिनांक प्रथम दिसम्बर, 2006

la[k lk0dk0fu0 33@lafo@309@2006&&Hkkjr ds lafo/kku ds vuqPNsn 309 ds  
ijUrqd }kjk iznRr 'kfDr;ksa dk iz;ksx djrs gq.] gfj;k.kk ds jkT;iky] blds }kjk]  
gfj;k.kk vkcdkjh rFkk djf/kku foHkksx] v/khuLFk dk;kZy; fyfidh; ¼xzzqi x½ lsok  
esa fu;qDr O;fDr;ksa dh HkrrhZ rFkk mudh lsok dh 'krksZ dks fofu;fer djus okys  
fuEufyf[kr fu;e cukrs gSa] vFkkZr~ %&&

भाग—1 सामान्य

संक्षिप्त नाम  
तथा लागूकरण।

1. ये नियम हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग अधीनस्थ कार्यालय  
लिपिकीय (गुप ग) सेवा नियम, 2006 कहे जा सकते हैं ।

परिभाषाएं

- 2 इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) “आयोग” से अभिप्राय है, कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा;
- (ख) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से  
पदोन्नति या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में  
पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई  
हो;
- (ग) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा  
सरकार;
- (घ) “मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है,—
- (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई भी विश्वविद्यालय, या
- (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए  
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;  
तथा
- (छ) “सेवा” से अभिप्राय है, हरियाणा आबकारी तथा कराधान  
विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय (गुप ग) सेवा ।

## भाग II – सेवा में भर्ती

- पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।
- 3 सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगे और सेवा के सदस्य उनके सामने दर्शाये गए वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे: परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थाई अथवा अस्थायी रूप से बनाने के लिए सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।
- सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता अधिवास तथा चरित्र।
4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—
- (क) भारत का नागरिक; या
- (ख) नेपाल की प्रजा; या
- (ग) भूटान की प्रजा; या
- (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो; या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, यूगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो :
- परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो ।
- (2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी करना आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।
- (3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण—पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भलीभांति परिचित हों और

जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अथवा उससे पहले 17 वर्ष की आयु से कम या 40 वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निम्नलिखित सरकार द्वारा की जायेगी—

(क) सहायकों और वरिष्ठ आशुलिपिकों की दशा में अतिरिक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त (प्रशासन) द्वारा;

(ख) लिपिकों और आशुलिपिकों की दशा में, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा।

अर्हताये।

7- dksbZ Hkh O;fDr lsok esa fdlh Hkh in ij rc rd fu;qDr ugha fd;k tk;sxx tc rd dh og lh/kh HkrhZ dh n'kk esa] bu fu;eksa ds ifjf'k"V [k ds [kkuk 3 esa fofufnZ"V rFkk lh/kh HkrhZ ls vU;Fkk fu;qfDr dh n'kk esa] mDr ifjf'k"V ds [kkuk 4 esa mfYyf[kr vgZrk;sa rFkk vuqHko u j[krk gks% ijUrq lh/kh HkrhZ }kjk fu;fDr dh n'kk esa vuqHkko lEcU/kh ;ksX;rkvksa esa vk;ksx ;k fdlh vU; HkrhZ izkf/kdj.k ds foods ij 50 izfr"kr lhek rd <hy nh tk ldsxh] ;fn vuqlwfpr tkfr;ksa] fiNM+s oxksZa] HkwriwoZ lSfudksa rFkk "kkjhfd :i ls fodykax izoxksZa esa muds fy, vkjf{kr fjDr inksa ds Hkjus fy, visf{kr vuqHko j[kus okys mEehnokjksa dh i;kZIr la[k;k miyC/k u gks] ,slk djus ds fy,] fyf[kr :i esa] dkj.k fn, tk,axsA

निर्हताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,—

¼d½ ftlus thfor ifr@iRuh okys O;fDr ls fookg dj fy;k gS ;k fookg dh lafonk dj yh gS( ;k

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में नियुक्ति निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,—

(क) सहायक की दशा में —

(i) सीधी भर्ती द्वारा, या

- (ii) लिपिकों और कैप लिपिकों/आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा;
- (ख) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों की दशा में—
- (i) सीधी भर्ती द्वारा, और
- (ii) कैप लिपिकों/आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा
- (ग) कैप लिपिकों/आशुलिपिकों की दशा में :—
- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा;
- (घ) लिपिकों की दशा में—
- (i) 80 % सीधी भर्ती द्वारा, और
- (ii) 20% ग्रुप ग कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा जिनका वेतनमान लिपिक तथा ग्रुप घ कर्मचारियों से कम है।
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा
- (2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो जब सेवा में कोई रिक्ति होती है या होने वाली हो तो, नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के ढंग का निर्धारण करेगा जिस द्वारा ऐसी रिक्ति भरी जायेगी ।
- (3) सभी पदोन्नतियां, चाहे एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड या सेवा के एक वर्ग से सेवा के दूसरे वर्ग की सेवा में हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेगी और केवल ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नति के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

परीवीक्षा ।

10- 1/41 1/2 losk esa fdlh Hkh in ij fu;qDr] ;fn og lh/kh HkrhZ }kjk fu;qDr fd;k x;k gks] rks nks oxZ dh vof/k ds fy;s vkSj ;fn vU;Fkk fu;qDr fd;k x;k gks] rks ,d o"kZ dh vof/k ds fy;s ifjoh{kk ij jgsxk%

परन्तु,—

- (क) ऐसे नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परीवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी,

- (ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।
- (2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह, —
- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,
- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
- (ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे।
- (3) किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि, पूरी होने पर, नियुक्ति—प्राधिकारी,—
- क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—
- (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्टि कर सकता हो, या,
- (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्टि कर सकता है: या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुज्ञात करें, या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता ।

11.

सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग से निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी:—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता



के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे;

- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा काल के अनुसार, निश्चित की जाएगी और यदि सेवा काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व

12.

(1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य के भीतर अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए, आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन सेवा करने के लिए भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

- (i) किसी कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास हो या हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय,
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा
- (iii) कोई, अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा (iii) में निदिष्ट केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

13.

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो समक्ष प्राधिकारी

द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान— मण्डल द्वारा बनाए या उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जायें।

अनुशासन,  
शास्तियां तथा  
अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय—समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट “ग” में विनिर्दिष्ट है।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए समक्ष प्राधिकारी तथा अपील अधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य टीका लगवायेगा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की  
शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की  
शक्ति।

17. जहां, सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समोचीन हो, वहां वह कारण लिख कर, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझ तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षणों की कुल प्रतिशतता, किसी भी समय, 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा  
व्यावृत्ति।

20. हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग अधीनस्थ कार्यालय, लिपिकीय ग्रुप ग राज्य सेवा नियम, 1981 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट “क”  
(देखिये नियम 3)

क्र०स०	पद नाम	पदों की संख्यां			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक	147	4	151	5000—150—7100—दक्षतारोध—150—7850रूपये
2.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	34	11	45	5000—150—7100—दक्षतारोध—150—7850 रूपये
3.	कैम्प लिपिक / आशुटंकक	207	12	219	3050—75—3950—दक्षतारोध—80—4590 जमा 100 विशेष वेतन रूपये
4.	लिपिक	448	—	448	3050—75—3950—दक्षतारोध—80—4590 रूपये

परिशिष्ट 'ख'  
(देखिये नियम 7)

क्र०स०	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो ।	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो ।
1	2	3	4
1.	सहायक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष तथा दसवीं तक हिन्दी का ज्ञान ।	लिपिक या कैम्प क्लर्क/आशुटंकक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।
2.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1. दसवीं/हायर सैकण्डरी या इसके समकक्ष/10+2 (वोकेशनल) 2. मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । 3. 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन । या 4. 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन टाईपकृत सामग्री पर । 5. 4 प्रतिशत गलतियां अनुज्ञात होंगी ।	कैम्प क्लर्क/आशुटंकक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव और 100/80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपि तथा क्रमशः 20/15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन टाईपकृत सामग्री पर । 4 प्रतिशत गलतियां अनुज्ञात होंगी ।
3.	कैम्प लिपिक/आशुटंकक	1. दसवीं/ हायर सैकण्डरी या इसके समकक्ष/10+2 (वोकेशनल) 2. मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान 3. 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन टाईपकृत सामग्री पर । 4. 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन । 5. 8 प्रतिशत गलतियां अनुज्ञात होंगी ।	लिपिक के रूप में एक वर्ष का अनुभव और 80/64 प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपि तथा क्रमशः 15/11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन टाईपकृत सामग्री पर 8 प्रतिशत प्रतिलेखन टाईपकृत सामग्री पर ।
4.	लिपिक	1. दसवीं/ हायर सैकण्डरी या इसके समकक्ष/10+2	1. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की दशा में ग्रुप

		<p>(वोकेशनल)</p> <p>2. मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान</p> <p>3. हिन्दी या अंग्रेजी की टंकित गति 25/30 शब्द प्रति मिनट से पास करनी होगी । जिसके लिये एक वर्ष का समय नियुक्ति से होगा</p>	<p>ग कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव जिसका वेतनमान लिपिक के तथा गुप घ कर्मचारी से कम है जिसने मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी या इसके समकक्ष/10 + 2 (वोकेशनल) पास की हों।</p> <p>2. स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभाव।</p>
--	--	--	--

परिशिष्ट 'ग'  
 {(देखिये नियम 7)}

क्र० स०	पदनाम	नियुक्ति अधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शारित लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	दूसरी और अन्तिक अपील प्राधिकारी
	1	2	3	4	5	6
1.	सहायक	अतिरिक्त आबकारी तथा	छोटी अशास्तिया (i) वैयक्ति फाईल (आचरणर पंजी) पर प्रति देखते हुए चेतावनी, (ii) परिनिन्दा, (iii) पदोन्नति रोकना, (iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिनका पूर्ण व अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद व राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धि पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली, और (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना (2) बड़ी शास्तियां (v-क) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना; (vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समय मान में निम्नतर प्रक्रम पर, अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशो सहित की क्या सरकारी कर्मचारी ऐसे अवनति अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं	अतिरिक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त (प्रशा०)	आबकारी तथा कराधान आयुक्त	सरकार
2.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	कराधान आयुक्त (प्रशा०)				

			<p>और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसको भावी वेतन वृद्धिया स्थगित करने का प्रभाव रखेंगी या नहीं;</p> <p>(vii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति, जो सरकार कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिससे ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा के सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा,</p> <p>(viii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति;</p> <p>(ix) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी;</p> <p>(x) सेवा में पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी ।</p>			
3.	कैम्प लिपिक /आशुटंकक	उप आबकारी	उपरोक्त नाम लेकर बताई गई सभी बड़ी तथा छोटी शास्तियां	उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त	आबकारी तथा कराधान आयुक्त	सरकार
4.	लिपिक	तथा कराधान आयुक्त				



परिशिष्ट “घ”

{(देखिये नियम 14 (2))}

Øe la[:k	पद नाम	आदेशों का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	दूसरी और अन्तिक अपील प्राधिकारी
1	2	3	4		
1.  2.	सहायक  वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(क) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ख) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियम आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	अतिरिक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त (प्रशा0)	आबकारी तथा कराधान आयुक्त	सरकार
3.  4.	कैम्प लिपिक / आशुटंकक  लिपिक	(क) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ख) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियम आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त	आबकारी तथा कराधान आयुक्त	सरकार

एल0एस0एम0 सालिंस

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग।